(वाद सं०– 2313/4/30/2020)

13.07.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, शंभु नाथ झा, पूर्व प्रधानाध्यापक, महावीर संस्कृत उच्च विद्यालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान न किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा विद्यालय के विभिन्न अवसरों पर वर्ष–2015 से 12500/– (बारह हजार पाँच सौ रुपये) ऋण के रूप में लिया गया था, जो उनके द्वारा विद्यालय कोष में जमा नहीं किये जाने के कारण उनका वेतन रोक दिया गया। बाद में जाँच पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में परिवादी द्वारा दिनांक–04.03.2021 को ऋण के रूप में ली गई उपरोक्त राशि को विद्यालय कोष में जमा करा दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि सम्बन्धित विद्यालय एक प्रस्वीकृत एवं अनुदानित विद्यालय है जिसके सम्बन्ध में को भी कार्रवाई का क्षेत्राधिकार बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर का अपने प्रतिवेदन में यह भी कथन है कि परिवादी द्वारा लिये गये ऋण को वापस लौटाने से सम्बन्धित तथ्य की जानकारी बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को उनके द्वारा दे दी गई है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से परिवादी के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त होने पर तत्काल परिवादी के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

राज्य आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। सचिव, बिहार

संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में महावीर संस्कृत उच्च विद्यालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर के प्रधानाध्यापक को परिवादी को वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है। उनके द्वारा उपरोक्त पत्र की एक प्रति अपने प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित की गई है।

अब जबकि परिवादी के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकार द्वारा आदेश दिया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध है कि परिवादी के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कर परिवादी को वेतन का भुगतान किया जाय।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की एक प्रति के साथ बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (पृष्ठ 72–70/प0) की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को भेजते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक